कार्यालय :- मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा
Email-cfchaibasa@gmail.com, po-chaibasa, west singhbhum.

पत्रांकः 1328

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

चाईबासा, दिनांक 05/07/2017

विषयः– सारण्डा वन प्रमण्डल में गुआ–सलाई पथ के कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 एवं कि0मी0 11.00 से कि0मी0 29.00 के वन क्षेत्र वाले पथांश का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निमाण कार्य हेतु वनभमि का अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– (1) आपका ज्ञापांक– 399 दिनांक– 24.05.2017 तथा ज्ञापांक– 426 दिनांक– 02.06.2017 ।
(2) वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक– 1246 दिनांक– 27.06.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र संख्या– FP/JH/ROAD/23799/2017/1244 दिनांक– 16.05.2017 तद्नुसार सरकार के उप सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या– वनभूमि– 21/2016/2254/ व0प0 दिनांक– 29.05.2017 द्वारा (Online) विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव कि0मी0 2.00 से 11.00 (Phase-I) तथा कि0मी0 11.00 से 29.00 (Phase-II) को एकीकृत कर समेकित प्रस्ताव समर्पित करने संबंधी निदेश के आलोक में तत्संबंधी सूचना/कार्रवाई हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा को इस कार्यालय के पत्रांक– 1055 दिनांक– 29.05.2017 तथा पत्रांक– 1163 दिनांक– 09.06.2017 (Online) दिया गया ।

वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा ने अपने पत्रांक– 1246 दिनांक– 27.06.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रमण्डलीय ज्ञापांक– 1002 दिनांक– 25.05.2017 तथा ज्ञापांक– 1149 दिनांक– 12.06.2017 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण, कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को विषयक दोनों प्रस्तावों को एकीकृत कर समेकित प्रस्ताव समर्पित करने हेतु आग्रह किया गया । उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर ने अपने पत्रांक– 626 दिनांक–19.06.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड सरकार द्वारा ही इस पथ के चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य हेतु दो अलग–अलग भागों यथा कि0मी0 2.00 से 11.00 एवं कि0मी0 11.00 से 29.00 की तकनीकि एवं

प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि तकनीकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति अलग होने के कारण दोनों भागों की निविदा भी अलग–अलग निकाली गई है तथा तत्संबंधी एकरारनामा भी अलग–अलग है जिसे समेकित रूप से वनभूमि अपयोजन कार्य करने पर भविष्य में लेखा आपत्ति की संभावना बनी रहेगी । इस परिस्थिति के आलोक में ही अलग–अलग अपयोजना प्रस्ताव समर्पित था जिसपर पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है ।

वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक– 1246 दिनांक– 27.06.2017 की छायाप्रति अनुलग्नकों सहित अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित है ।

<u>अनु0– यथोक्त ।</u>

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक, 05/07/17

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

Destop folder Gua-Salai Road.